कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

क्र. 67 /04/ प्र.अ./ मॉनी/ लो.स्वा.यां.वि. **भोपाल** दिनांक 03.01.04

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर

विषय :– पेयजल स्त्रोतों में फ्लोराइड की अधिकता बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 534 दिनांक 16.04.96, क्रमांक 144 दिनांक 25.01.96, क्रमांक 250 दिनांक 09.02.96, क्रमांक 308 दिनांक 02.03.2000 एवं क्रमांक 9406 दिनांक 08.12.2003

——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनके द्वारा समय समय पर आपको उक्त विषय संबंधी निर्देश दिये गये हैं। फ्लोराइड अधिकता की समस्या के निराकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें:–

1. नलकूप खनन के पश्चात पानी में फ्लोराइड हेतु परीक्षण कराये । फ्लोराईड की मात्रा निर्धारित सीमा के अंदर पाये जाने पर ही उस पर हैण्डपंप या पावरपम्प स्थापित किया जाये।
2. फ्लोराईड की मात्रा निर्धारित समय सीमा से यदि अधिक पाई जाती है तो उसे बन्द कर दिया जाये ।
3. जिन ग्रामों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है उन ग्रामों के सभी पेयजल स्त्रोतों का फ्लोराइड हेतु तत्काल परीक्षण कराया जाय।
4. वर्तमान में अपरिक्षित स्त्रोतों का तत्काल परीक्षण कराया जाय।
5. साथ ही साथ आसपास के ग्रामों के समस्त जल श्रोतों का भी शत प्रतिशत परीक्षण कराया जावे एवं यदि फ्लोराइड का प्रभाव पाया जाता है तो जिले के समस्त पेयजल श्रोतों का तत्काल परीक्षण कराया जाय।
6. फ्लोराइड की अधिकता पाये जाने पर स्त्रोत को बंद कर दें एवं हैण्डपंप पर पीने के लिए अयोग्य सूचना लगायें उसे रंग से पोत दें।
7. फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करें एवं आवश्यक हो तो तत्संबंधी प्रस्ताव बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित करे।
8. प्रभावित स्त्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा हेतु स्थानीय या निकटतम प्रयोगशाला में नियमित परीक्षण कराकर मोनिटरिंग करें। किये जा रहे परीक्षण कार्य की क्रास चैकिंग विभागीय प्रयोगशाला भोपाल में करायें।
9. अधीनस्थ खण्ड कार्यालयों को निर्देशित करें कि खण्ड कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जावे जिसमें प्रभावित स्त्रोतों की समय समय पर किए गये परीक्षणों के आंकड़े रखे जावें।
10. परीक्षण में फ्लोराई की मात्रा में बार बार अंतर आये तो ऐसे स्त्रोतों का वर्षा पूर्व वर्षा के दौरान एवं वर्षा के पश्चात सघन परीक्षण किया जाय।
11. परीक्षण कार्य हेतु परीक्षण सुविधा प्रयोगशाला में तत्काल विकसित की जावे।
12. प्रयोगशाला अमले को परीक्षण हेतु समुचित प्रशिक्षण दिलाया जावे।

13. परीक्षण हेतु तात्कालिक व्यवस्था फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से की जाये। किट के उपयोग पर प्रशिक्षण देकर स्थानीय पंचायतों को वितरित की जावें।
14. यदि ग्राम की प्रभावित जनसंख्या 500 से कम हो तो प्रति परिवार वितरण हेतु घरेलू फ्लोराइड निवारक छन्नों की मांग बाबत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि तदनुसार यूनिसेफ से मांग की जा सके।
15. फ्लोराइर्ड की अधिकता से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों की जानकारी ग्रामवासियों को देने हेतु जन जाग्रति कार्यक्रम आयोजित किये जावे।
16. प्रभावित ग्रामों में फ्लोरोसिस रोग का पता लगाने हेतु स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराने केलिए स्थनीय स्वास्थ्य विभाग से निवेदन करें।

उक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।
उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ कार्यपालन यंत्रियों को तत्काल निर्देश जारी करें तथा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्र. 67 /04/ प्र.अ./ मॉनी/ लो.स्वा.यां.वि. भोपाल दिनांक 03.01.04

प्रतिलिपि :–
सचिव, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल म.प्र.